न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :– 121/2017 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– बोदनराम बनाम गैंदी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
12.2.2018	पत्रावली पेश हुई । विद्वान वकील अपीलांट एवं कैवियटर उपस्थित । दोनों पक्षों की स्थगन प्रा0 पत्र पर बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 134 और 135 वाके ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना के सम्बन्ध में वादनी रेस्पो0 ने यह कहते हुये दावा एवं धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि यह आराजी पैत्रिक है तथा उसका हिन्दू कानून के मुताबिक जन्म से ही अधिकार है । विद्वान तहत न्यायालय ने गलत तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हम पक्षकारान मीना जाति के हैं, जो जाति अनुसूचित जन जाति में आती है । मीना जाति के लोगों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है । इसलिये मीना जाति में लडकियों को पैत्रिक सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई हक नहीं दिया गया है । वादनी रेस्पो. शादीशुदा है और अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती है । शादीशुदा लडकियों को अपने पिता की पैत्रिक सम्पत्ति में किसी प्रकार का कानूनन हक नहीं दिया गया है, जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच ने 2006 (2) पेज 463 में गुलाब बनाम राजस्व मण्डल व अन्य नामक मामले में अभिनिर्धारित किया है कि पुनर्विवाह के पश्चात विधवा का अपने भूतपूर्व पति की भूमि में कोई अधिकार नहीं रहता है – विवाहित पुत्री का भी अपने पिता की पैत्रिक सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं रहता है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2 की व्याख्या करते हुये पारित किया है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर यह साबित है कि विवादित भूमि में वादनी रेस्पो0 का किसी भी प्रकार से कोई हक नहीं बनता है, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर हमको पाबन्द कर दिया । अतः निवेदन है कि स्थगन प्रा0 पत्र स्वीकार किया जावे । जवाब में विद्वान वकील कैवियटर रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि पैत्रिक है, जिसमें मेरा जन्म से ही अधिकार है । अपीलांट को अंतरिम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

आदेश के खिलाफ अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । अगर इनको अपीलाधीन आदेश से कोई आपत्ति है तो इन्हें चाहिये कि तहत न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर चाराजोही करे । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः स्थगन प्रा. पत्र खारिज करते हुये अपील खारिज की जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट का मुख्य कथन यही है कि विवादित भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है और पक्षकारान मीना जाति के हैं, मीना जाति के लोगों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है, मीना जाति में लडकियों को पिता की पैत्रिक सम्पत्ति में कानूनन कोई अधिकार नहीं दिया गया है । इसके विपरीत रेस्पो0 कैवियटर का कथन है कि विवादित भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है, जिसमें उसका जन्म से ही अधिकार है । मीना जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है अथवा नहीं, रेस्पो0 वादनी का विवादित भूमि में कानूनन कोई हक बनता है अथवा नहीं, ये सारे बिन्दू मूल वाद में तय होने है । हम यहां धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र में पारित अन्तरिम आदेश के खिलाफ प्रस्तुत अपील में पेश स्थगन प्रा0 पत्र का निस्तारण कर रहे हैं । विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में आगामी पेशी तक विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि जब एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य विवाद हो तो यथास्थिति के आदेश दिये जा सकते हैं । इसके अलावा माननीय राजस्व मण्डल ने अनेकों नजीरों में यह भी प्रतिपादित किया है कि अगर किसी पक्षकार द्वारा आराजी का दुर्व्ययन करने, उसे हानि पहुंचाने, खुर्दबुर्द करने आदि का अंदेशा हो तो आराजी के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु निवारक अनुतोष के रूप में यथास्थिति के आदेश दिया जाना न्यायसंगत है । इतना ही नहीं, अनेकों नजीरों में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि तहत न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश के माध्यम से पारित यथास्थिति के आदेश को अपील में वैकेट करने का तात्पर्य होगा --- प्रतिवादी अपीलांट को आराजी खुर्दबुर्द करने का लाईसेंस देना ।

चूंकि अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है, जिसमें आगामी पेशी यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं । उस यथास्थिति को अपीलांट वैकेट कराना चाहता है, जो कि उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में कानूनसम्मत प्रतीत नहीं होता है । अतः अपीलांट का स्थगन प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अब प्रश्न यह उठता है कि इस अपील को आगे चलाया जावे अथवा नहीं । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना विधिसम्मत नहीं है । जब अपीलाधीन आदेश, जो कि अंतरिम आदेश है, में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और प्रतिवादी अपीलांट का तहत न्यायालय में जवाब पेश होकर धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र का निर्णय होना शेष है तो ऐसी स्थिति में अपील को आगे चलाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है । परन्तु हम तहत न्यायालय को धारा 212 के प्रार्थना पत्र का अविलम्ब निस्तारण करने हेतु निर्देश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वो प्रतिवादी अपीलांट से जवाब लेकर उभयपक्ष की सुनवाई कर यथाशीघ्र धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 12.3.2018 को उपस्थित हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner